दूरभाष– 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

8A/1

दिनांक: 02 मई 2018

पत्रांक :348/01/76/एक/2018–19

सेवा में,

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–बलरामपुर

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी मिशन) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।**

डूडा, बलरामपुर के पत्रांक 280/प्रधानमंत्री आवास /धन0 प्रेषण/डूडा–18 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में 152 लाभार्थियों के जी0ओ0 टैगिंग होने के पश्चात पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर लोड किये जाने के उपरान्त अभिकरण मुख्यालय से राज्यांश की धनराशि रू0 50000/–प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या 101/2018/364/69–1–14 (235)/2015 दिनांक 21.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या–8 में उल्लिखित निर्देशों के कम में भुगतान किया जाना है। तदक्रम में जनपद का पीएमवाई योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत निम्न बचत खाते में 152 लाभार्थियों की धनराशि रू0 50000/–प्रति लाभार्थी की दर से रू0 76.00 लाख (रू0 छियत्तर लाख मात्र) अन्तरित करायी जा रही है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

| बैंक का नाम | खाता संख्या | धनराशि |
|---|---|---|
| ALLAHABAD BANK | 50403428674 | 7600000.00 |

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाये।

1– अवमुक्त की जा रही अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत मार्च 2015, मार्च 2016 एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही नियमानुसार उपयोग किया जाये।

2– प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 162/2016/623/69–1–16–14(139)/2015 टीसी दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि निर्गत करने के पूर्व निर्मित किये जा रहे आवास का योजना से सम्बन्धित गाइड लाइन/निर्धारित मानक के अनुसार जियो–टैगिंग सुनिश्चित की जाये एवं तदनुसार चरणवार भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

4– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र सूडा की वेबसाइड पर अपलोड है।

5– उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का वर्गवार स्वीकृत आवासों की अंकित संख्या के क्रम में धनराशि के उपयोग का भी ध्यान रखा जाये तथा वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग) में निर्धारित केन्द्रांश/राज्यांश के अनुपात में निकायवार लेखांकन भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि–

1– अपर निदेशक/निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2– परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण, बलरामपुर।
3– कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
4– श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0 अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक